भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1066

28 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सौंदर्य शल्य चिकित्सा (कॉस्मेटिक सर्जरी) और सौंदर्यात्मक प्रक्रियाओं का विनियमन

1066 डा. अजीत माधवराव गोपछड़े:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में सौंदर्य शल्य चिकित्सा (कॉस्मेटिक सर्जरी) से जुड़े विनियामक सुधारों की जांच की है और क्या वह रोगियों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए प्रक्रियाओं के जोखिम वर्गीकरण पर आधारित एक समर्पित ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) क्या प्रस्तावित ढांचे में सभी स्थापनों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग, चिकित्सकों के लिए समान योग्यता और क्रेडेंशियल मानक, और "कॉस्मेटिक सर्जन" की उपाधि की सुरक्षा का प्रावधान होगा; और

(ग) क्या सरकार भ्रामक विज्ञापनों और सोशल मीडिया प्रचार को विनियमित करने, न्यूनतम उम्र सीमा तय करने और सूचित-सहमति की अनिवार्यताओं को बढ़ाने, कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने और अनधिकृत पद्धतियों को रोकने के लिए मज़बूत निरीक्षण तंत्र स्थापित करने और शास्ति प्रावधान करने का विचार रखती है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने और नैतिक चिकित्सा पद्धतियों को बनाए रखने के लिए दिनांक 20.09.2022 के पत्र तहत सौंदर्य शल्य चिकित्सा और बाल प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) का नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) चिकित्सा पेशेवरों के पेशेवर आचरण को विनियमित करता है और उनके बीच चिकित्सा नैतिकता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता)

विनियम, 2002 के खंड 8.2 में चिकित्सा पेशेवरों द्वारा पेशेवर कदाचार से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु एक तंत्र का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया तथा नैदानिक स्थापन (केंद्रीय सरकार) नियम, 2012 अधिसूचित किए। नैदानिक स्थापन अधिनियम को 19 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है तथा इसके अंतर्गत यह अपेक्षित है कि नैदानिक स्थापन अपनी प्रत्येक प्रदत्त सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन करें।

******